कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड बांसडीह
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0
बाँसडीह ,बलिया

(xen.bansdih@puvvnl.in)

पत्रांक : 10982 /वि0वि0ख0बांस0(ब0)/ दिनांक– 22.09.2025

विषयः– श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीम प्रसाद, निविदा कर्मी को कार्य पर रखने के सम्बन्ध में।

कार्यालय,सहायक प्रबन्धक(कार्मिक),
ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड,
गोपाल नगर, सिसवा बाजार,
जनपद महराजगंज।

उपरोक्त विषयक के संबंध मे अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक **GLOBETECH/SBZ/ EMPLOYEE/ NOTICE/L.NO-44353** दिनांक 07.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निविदा कर्मी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीम प्रसाद पर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होनें व पुलिस द्वारा जेल भेज जाने के उपरांत भी कंपनी को सूचना न देने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिसके संबंध में अवगत कराना है कि निविदाकर्मी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीम प्रसाद का अवलोकन पत्र अवर अभियन्ता द्वारा अग्रसारित किया गया है जिसका अवलोकन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1. मा0 न्यायालय, जनपद बलिया द्वारा जारी आदेश।
2. उ0नि0 / विवेचक, थाना नगरा, जनपद बलिया द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रति।
3. निविदाकर्मी द्वारा अवर अभियन्ता को प्रेषित पत्र।

अधिशासी अभियन्ता

पत्राँक : 10982 /वि0वि0ख0बां0(ब0) / दिनाँकः 22.09.2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल बलिया।
2. श्री पियुश त्रिपाठी, स्थानीय प्रतिनिधि, ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड बलिया।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय -- सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - गोपाल नगर, सिसवा बाज़ार, जनपद- महराजगंज (उ०प्र०) - २७३१६३

GLOBETECH/SBZ/EMPLOYEE/NOTICE/L.NO.-44353 07-09-2025

स्पष्टीकरण पत्र

पंजीकृत डाक/ई-मेल/वाट्सएप द्वारा प्रेषित।
अनुस्मारक-1

सेवा में,

श्री विनोद कुमार
पुत्र भीम प्रसाद
तरुकी दौलतपुर भीमपुरा नं० 2
नगरा (बलिया)
जनपद- बलिया उत्तर प्रदेश- 221711
8808502065

विषय -क्षेत्रीय सुपरवाइज़र द्वारा उपकेंद्र निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया की आपके ऊपर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने व पुलिस द्वारा जेल भेजे जाने के उपरांत भी आप द्वारा कोई सुचना कंपनी को न दिये जाने के कारण की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित के संबंध में आप की सेवा क्यों न समाप्त कर दी जाय, के लिए आप को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी द्वारा जारी पत्रांक संख्या 44188 दिनांक 29-08-2025 जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05-09-2025 थी को पंजीकृत डाक द्वारा आप को प्रेषित है। लेकिन अत्यंत ही खेद के साथ आप को सूचित करना पड़ रहा है, की आप का उचित पक्ष आज दिनांक 07-09-2025 तक अप्राप्त है। चूंकि आप पूर्व में ही संज्ञानित हैं कि उपरोक्त विषयक पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में हमारी ओर से आपके सभी कार्यों व अधिकारों पर दिनांक 29-08-2025 से ही रोक लगा दी गयी है। आप को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः एक और अवसर दिनांक 17-09-2025 तक दिया जाता है।

यदि आप विषयांकित के सन्दर्भ में अपने स्पष्टीकरण पर सुचना/शिकायत/आरोप कर्ता की टिप्पणी सहित निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करते है तो आपके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक -

1. हमारे द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 44188 दिनांक 29-08-2025 की प्रति।

भवदीय

नूपुर वर्मा
कृते-सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पंजीकृत डाक/ई-मेल/वाट्सएप द्वारा प्रेषित।

1. अधिशासी अभियंता महोदय, विद्युत वितरण खंड- बांसडीह को ईमेल द्वारा प्रेषित।
2. उपखण्ड अधिकारी महोदय, विद्युत वितरण उपखण्ड- नगरा को व्हाट्सप द्वारा प्रेषित।
3. अवर अभियंता महोदय,33/11 KV विद्युत उपकेंद्र-तरुकि दौलतपुर को व्हाट्सप द्वारा प्रेषित।
4. सर्किल हेड/ क्षेत्रीय पर्यविक्षक ग्लोबेटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड जनपद- बलिया।

भवदीय

नूपुर वर्मा
कृते-सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय -- सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - गोपाल नगर, सिसवा बाज़ार, जनपद- महराजगंज (उ०प्र०) - २७३१६३

GLOBETECH/SBZ/EMPLOYEE/NOTICE/L.NO.-44188 29-08-2025

स्पष्टीकरण पत्र

सेवा में,

पंजीकृत डाक/ई-मेल/वाट्सएप द्वारा प्रेषित।

श्री विनोद कुमार
पुत्र भीम प्रसाद
तरुकी दौलतपुर भीमपुरा नं० 2
नगरा (बलिया)
जनपद- बलिया उत्तर प्रदेश- 221711
8808502065

RU751453891IN
DT.-29.08.2025

विषय - क्षेत्रीय सुपरवाइज़र द्वारा उपकेंद्र निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया की आपके ऊपर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने व पुलिस द्वारा जेल भेजे जाने के उपरांत भी आप द्वारा कोई सुचना कंपनी को न दिये जाने के कारण की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपकी तैनाती हमारी कंपनी में दिनांक 01-07-2024 से है। वर्तमान में आप TARUKI DAULATPUR में MAINTENANCE कार्यहेतु UN SKILLED श्रेणी के पद पर कार्यरत है। उपरोक्त विषयक "क्षेत्रीय सुपरवाइज़र द्वारा उपकेंद्र निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया की आपके ऊपर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने व पुलिस द्वारा जेल भेजे जाने के उपरांत भी आप द्वारा कोई सुचना कंपनी को न दिये जाने के कारण की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।" दिनांक 29-08-2025 से आपके सभी कार्यों व अधिकारों पर रोक लगा दी गयी है। उपरोक्त विषयक पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक 05-09-2025 तक प्रस्तुत करें की क्यूँ न आपकी सेवा समाप्त कर दिया जाए। यदि आप विषयांकित के सन्दर्भ में अपने स्पष्टीकरण पर सुचना/शिकायत/आरोप कर्ता की टिप्पणी सहित निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करते है तो आपके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक -

1. विषयांकित के संदर्भ में क्षेत्रीय सुपरवाइजर द्वारा प्राप्त पत्र 20-06-25 की प्रति।

भवदीय

नूपुर वर्मा
कृते-सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पंजीकृत डाक/ई-मेल/वाट्सएप द्वारा प्रेषित।

1. अधिशासी अभियंता महोदय, विद्युत वितरण खंड- बांसडीह को ईमेल द्वारा प्रेषित।
2. उपखण्ड अधिकारी महोदय, विद्युत वितरण उपखण्ड- नगरा को व्हाट्सप द्वारा प्रेषित।
3. अवर अभियंता महोदय,33/11 KV विद्युत उपकेंद्र-तरुकि दौलतपुर को व्हाट्सप द्वारा प्रेषित।
4. सर्किल हेड/ क्षेत्रीय पर्यवेक्षक ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड जनपद- बलिया।

भवदीय

नूपुर वर्मा
कृते-सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

Scanned with OKEN Scanner

UPBL010040172025

न्यायालय Special Judge (Pocso Act)/

Additional District and Sessions Judge - 8, Ballia

पीठासीन अधिकारी- (Sri Pratham Kant), (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) - UP02390

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0-1768/2025

विनोद कुमार पुत्र प्रेम प्रसाद उर्फ भीम साकिन-तुर्की दौलतपुर, थाना-नगरा, जनपद-बलिया।

——प्रार्थी/अभियुक्त

——बनाम——

उत्तर प्रदेश सरकार ——विपक्षी।

मु0अ0सं0-204/2025
धारा-74(2),331(4)बी.एन.एस. व
धारा-7/8 पाक्सो एक्ट
थाना-नगरा, जिला-बलिया।

<u>दिनांक-22.08.2025</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विनोद कुमार की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 204/2025 अन्तर्गत धारा-74, 331(4) बी.एन.एस. व धारा-7/8 पाक्सो एक्ट थाना नगरा, जिला बलिया के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्रों के समर्थन में आवेदक के पिता प्रेम प्रसाद उर्फ भीम पुत्र स्व0 जगमोहन द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले की वादिनी मुकदमा रीना देवी पत्नी स्व0 मटेलू प्रसाद ग्राम विशुनपुरा पोस्ट भीमपुरा नं0-2 थाना नगरा जनपद बलिया की रहने वाली है। वादिनी दिनांक 09.08.2025 को समय लगभग 12:00 बजे दिन अपनी पुत्री/पीड़िता व छोटे लडके अमीन को घर पर छोड़कर राखी बाँधने के लिए अपने माता-पिता के गाँव बिहार पवनी चली गई थी कि वादिनी के न रहने पर ग्राम सभा तुर्की दौलतपुर थाना नगरा जनपद बलिया के विनोद कुमार पुत्र प्रेम प्रसाद वादिनी के घर में दिनांक 09.08.2025 को ही 11:00 बजे रात्रि में घुस कर वादिनी की पुत्री/पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए जोर-जबरदस्ती करने लगा। शोर पर गाँव के व बगल के लोग जैसे ही पहुँचे, विनोद कुमार घर से भाग गया।

वादिनी के सूचना के आधार पर संबंधित थाना नगरा मे अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध

Signature invalid
Digitally signed by ...ham Kant
Date: 2025.08.2... ...:45 IST
Reason: Doc...
Location: Dis... and Sessions Court

Scanned with OKEN Scanner

धारा–74,331(4) बी.एन.एस. व धारा–7/8 पाक्सो एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आवेदक निर्दोष है, कोई जुर्म नहीं किया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक विजली विभाग में आउट सोर्सिंग पर लाइन मैन का कार्य करता है। आवेदक का कार्यक्षेत्र वादिनी का गाँव पड़ता है। आवेदक से विजली का तार जोड़ने के का विवाद वादिनी से हुआ था तो वादिनी ने बताने की धमकी दी थी। वादिनी मुकदमा उक्त रंजिश के कारण मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर गलत मुकदमा कायम कराई है। आवेदक को पुलिस इलाका थाना पर बुलाकर वादिनी मुकदमा के प्रभाव में होकर दिनांक 12.08.2025 को न्यायालय चालान कर जेल भेज दिया है। आवेदक दिनांक 12.08.2025 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक गाँव का स्थाई वासिन्दा है। जमानत पर छुटने पर फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रर्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गई।

मैंने उभयपक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा के घर में घुस कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार व वादिनी की पुत्री/पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने व लैंगिक हमला करने का अभियोग पंजीकृत है। पुलिस द्वारा मामले में अंतिम आख्या प्रेषित की गई है। अंतिम आख्या के संबंध में वादिनी न्यायालय उपस्थित आकर अंतिम आख्या के समर्थन में बयान दिया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अंतिम आख्या तैयार कर ली गई है लेकिन अभी न्यायालय प्रेषित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 12.08.2025 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त के आधार पर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है कि–

1. अभियुक्त इस प्रार्थनापत्र के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।
2. अभियुक्त उस अपराध का, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह हो, कोई अपराध नहीं करेगा।
3. अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय का किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या

Scanned with OKEN Scanner

अप्रत्यक्ष उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

4. अभियुक्त न्यायालय के बुलाये जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में हाजिर होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विनोद कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०204/2025 अन्तर्गत धारा–74,331(4) बी.एन.एस. व धारा–7/8 पाक्सो एक्ट थाना नगरा, जिला बलिया स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त विनोद कुमार द्वारा 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) का स्व बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–22.08.2025

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
कोर्ट संख्या–8, बलिया।

Steno–Ram sharan

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 189 बीएनएसएस थाना नगरा जनपद बलिया ।

सेवा मे

माननीय न्यायालय ASJ-8/ पाक्सो एक्ट महोदय
जनपद बलिया ।

विषय: – मु0अ0सं0 204/2025 धारा 74/331(4) बीएनएसएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया से सम्बन्धित आरोपी विनोद कुमार पुत्र भीम प्रसाद निवासी तुर्की दौलतपुर थाना नगरा जनपद बलिया के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं को साक्ष्य न पाये जाने के कारण आरोप उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा से अवमुक्त किये जाने हेतु प्रत्यावेदन –

महोदय,

निवेदन है कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2025 धारा 74/331(4) बीएनएसएस व 7/8 पाक्सो एक्ट की विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की जा रही है । जिसमे बयान वादिनी मुकदमा , निरीक्षणघटनास्थल, अवलोकन बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस से तथा दिनांक 12.08.2025 को मुखबीर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र भीम प्रसाद निवासी तुर्की दौलतपुर थाना नगरा जनपद बलिया को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया था । अभियुक्त उपरोक्त को यदि गिरफ्तार नही किया जाता तो अभियुक्त उपरोक्त फरार हो जाता , विवेचना मे सहयोग नही करता तथा साक्ष्य को प्रभावित करता, अभियोजन पक्ष पर बेवजह दबाव डालता पुनः इसी प्रकार का अपराध कारित करता जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत की गयी । तत्पश्चात पीड़िता उपरोक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया । जिसमे पीड़िता उपरोक्त ने आन्तरिक व बाह्य मेडिकल परीक्षण अपनी मर्जी से कराने से इन्कार कर दिया । तत्पश्चात पीड़िता उपरोक्त का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस मे अंकित कराया गया । जिसमे पीड़िता उपरोक्त ने अपने बयान मे बताया कि दिनांक 09.08.2025 को कोई घटना नहीं घटी है। मेरे गांव वालों के चढाने पर मेरी मम्मी ने मुकदमा लिखवा दिया है। मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तत्पश्चात पीड़िता उपरोक्त को माननीय न्यायालय न्यायपीठ महोदय के यहा दाखिल किया गया माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता उपरोक्त को उसकी मा को सुपुर्द कर रवाना किया गया । तत्पश्चात मै उ0नि0 मुकदमा उपरोक्त मे अन्य साक्ष्य

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

संलकन के लिए ग्राम विशुनपुरा आया जहाँ पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा वादिनी मुकदमा ने एक शपथ पत्र मुझ उ0नि0 को दिया जिसके अनुसार दिनांक 09.08.2025 को काजल कुमारी के साथ विनोद कुमार उपरोक्त ने किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नही किया गया तथा मुकदमा गाँव के कुछ लोगो के चढ़ाने बढ़ाने मे आकर आ गया है। तत्पश्चात पीड़िता उपरोक्त के उम्र सम्बन्धित दस्तावेज व अन्य साक्ष्य संकलन किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे अब तक के साक्ष्य संकलन से आरोपी विनोद कुमार पुत्र भीम प्रसाद निवासी तुर्की दौलतपुर थाना नगरा जनपद बलिया के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 74,331(4), बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट के साक्ष्य नही पाये जा रहे है। आरोपी विनोद कुमार उपरोक्त न्यायिक अभिरक्षा मे दिनांक 12.08.2025 से जिला कारागार मऊ मे निरूद्ध है। आरोपी विनोद कुमार उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 74,331(4) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध पोषणीय न पाये जाने के कारण आरोपी उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा से अवमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपी विनोद कुमार पुत्र भीम प्रसाद निवासी तुर्की दौलतपुर थाना नगरा जनपद बलिया को न्यायिक अभिरक्षा से अवमुक्त करने की कृपा की जाय।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

17/08/25

(संदीप कुमार)

उ0नि0 /विवेचक

थाना नगरा, बलिया

Sir
Submitted

18/08/25

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 24.08.2025

सेवा में,

श्रीमान् अवर अभियन्ता महोदय,
तुर्की दौलतपुर उपकेन्द्र,
नगरा, बलिया।

विषयः— कार्य पर अनुपस्थित रहने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र भीम प्रसाद निविदा कर्मी (अकुशल लाइनमैन) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तुर्की दौलतपुर पर कार्यरत है। महोदय प्रार्थी दिनांक 09.08.2025 को स्थानीय लोगों द्वारा साजिशन स्थानीय महिला से थाने मे तहरीर दिलवाने के पश्चात् पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मोबाईल फोन कब्जे मे ले लिया गया जिसके कारण प्रार्थी आपको अथवा विभाग मे उक्त घटना की सूचना नहीं दे पाया। पिड़िता द्वारा अपना आरोप वापस लेने तथा माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रार्थी दिनांक 23.08.2025 को पुलिस हिराशत से मुक्त हुआ है। जिस दौरान कारागार से वापस घर आते समय रास्ते में मोटरसाईकिल से गिरने से प्रार्थी का पैर फैक्चर हो गया है।

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त अवधि में अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा प्रदान करते हुए इलाज हेतु अवकाश देने की अनुमति प्रदान करें। आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी विनोद कुमार

(विनोद कुमार पुत्र भीम प्रसाद)
निविदा कर्मी (अकुशल लाइनमैन)
33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र
तुर्की दौलतपुर, बलिया।
मो0— 8808502065

सेवा में
सर्किल हेड | क्षेत्रीय पर्यवेक्षक
इलेक्ट्रिक क्रिश्चियन प्राईवेट
लिमिटेड जनपद-बलिया

उपरोक्त के दृष्टिगत अनुपस्थित अवधि का वेतन नियमानुसार बाधित कर उक्त निविदाकर्मी के पूर्व में विभागीय कार्यों में उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत एवं अवकाश के उपरान्त पुनर्पदस्थापित करने की संस्तुति की जाती है।

J.E Date 24/08/2025
विद्युत उपकेन्द्र तुर्कीदौलतपुर
बलिया